# अध्याय–2

# खनन रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

## अध्याय–2

## खनन रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भण्डारण) नियमावली, 2019 के नियम 22 के अनुसार खनन पट्टे के रूप में किसी भी खनिज रियायत का निपटान केवल सार्वजनिक नीलामी–सह–निविदा के आधार पर ई–बोली पद्धति के माध्यम से और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने लघु खनिजों के खनन पट्टा प्रदान करने से पूर्व खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश पारित किया (फरवरी 2012)। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने अपने लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 में लघु खनिजों के खनन पट्टाधारक क्षेत्रों को स्वीकृत और नवीनीकरण से पहले खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया है (अगस्त 2014)।

खान एवं भूतत्व विभाग ने योग्य उच्चतम बोलीदाताओं को निविदा–सह–नीलामी के आधार पर पाँच साल (2015–19) की अवधि के लिए बालू घाटों के बन्दोबस्त के लिए 22 जुलाई 2014 को एक अधिसूचना जारी की।

खान एवं भूतत्व विभाग ने 2015 से 2019 की अवधि के दौरान जिलों के बालू घाटों की नीलामी (अक्टूबर से दिसंबर 2014) की, जहाँ पूरे जिले की नीलामी की गई और नदी के पूरे हिस्से को निश्चित किये गये पट्टेदारों को दिया गया। बालू खनन नीति, 2013 के अनुसार, बालू घाटों के सफल बोलीदाताओं को सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि से खनन योजना 90 दिनों के भीतर और पर्यावरणीय स्वीकृति 90 दिनों के भीतर (50 हेक्टेयर से कम खनन क्षेत्र के मामले में) या 120 दिनों के भीतर (50 हेक्टेयर से ज्यादा या बराबर खनन क्षेत्र के मामले में) समर्पित करना था। सफल बोलीदाताओं को खान एवं भूतत्व विभाग सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति से उन्हें आवंटित जिले के लिए खनन योजना (यानी खनन के क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन करने के लिए) तैयार करनी थी और पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत उसी खनन योजना को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा 2015 में अनुमोदित किया गया था। जैसा कि पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकताओं को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एसओ–141 (ई) दिनांक 15 जनवरी 2016 को अनिवार्य किया गया था, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बालू की निकासी पर रोक लगा दी (फरवरी 2016) क्योंकि प्रत्येक जिले के पट्टेदारों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। उसके बाद, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में, सभी पट्टेदारों को सक्षम प्राधिकारी से खनन योजना पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ–141(ई) दिनांक 15 जनवरी 2016 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले के लिए बालू खनन या नदी–तल खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन की जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार की जानी थी। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुख्य सचिव को जनवरी 2016 में अधिसूचित प्रत्येक लघु खनिज का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भी याद दिलाया (मई 2018)। खान एवं भूतत्व विभाग ने 2020–24 के लिए बालू घाटों की नीलामी फिर से शुरू की (अगस्त 2019) और आठ जिलों में (लेखापरीक्षा नमूना में से) इसे अंतिम रूप दिया गया; हालाँकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रक्रिया को रोक दिया गया था क्योंकि नीलामी जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किए बिना की गई थी। विभाग द्वारा अभी तक जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए हैं जैसा कि नीचे कंडिका में दर्शाया गया है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.1 अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन

जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने का मुख्य उद्देश्य (सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार) निम्नलिखित सुनिश्चित करना है;

- उन्नयन या निक्षेपण के क्षेत्रों की पहचान जहाँ खनन की अनुमति दी जा सकती है;
- कटाव के क्षेत्रों की पहचान और अवसंरचनात्मक संरचनाओं और प्रतिष्ठानों से निकटता जहाँ खनन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए; और
- उस क्षेत्र में पुनःपूर्ति की वार्षिक दर की गणना और खनन के बाद पुनःपूर्ति के लिए समय देना।

जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए, जिला में जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा भूतत्व विभाग या सिंचाई विभाग या वन विभाग या लोक निर्माण विभाग या भूजल समिति या दूर संवेदन विभाग या खनन विभाग की सहायता से सर्वेक्षण किया जाएगा।

इसके अलावा, जिले में प्रत्येक लघु खनिज के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और इसकी प्रति समाहारणालय में रख कर 21 दिनों हेतु जिला बेवसाईट पर पोस्ट करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा। प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जायेगा और यदि सही पाया गया, तो इसे अंतिम प्रतिवेदन में शामिल किया जायेगा। जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्याकंन प्राधिकरण द्वारा छः माह के अंदर अंतिम रूप दिया जायेगा। पर्यावरण मंजूरी, प्रतिवेदन तैयार करना और परियोजना के मूल्याकंन के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन आवेदन का आधार बनेगा। अनुमंडल दंडाधिकारी की अध्यक्षता में एक उपमंडल समिति प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करेगा जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु आवेदन किया गया है और खनन हेतु क्षेत्र के उपयुक्ता या उसके निषेध के लिए सिफारिश करेगा। प्रतिवेदन को प्रत्येक पाँच साल में एक बार अद्यतन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने प्रत्येक जिला के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जैसा कि नीचे pkVZ&4 में वर्णित है:

## चार्ट–4
## प्रत्यके जिला के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण

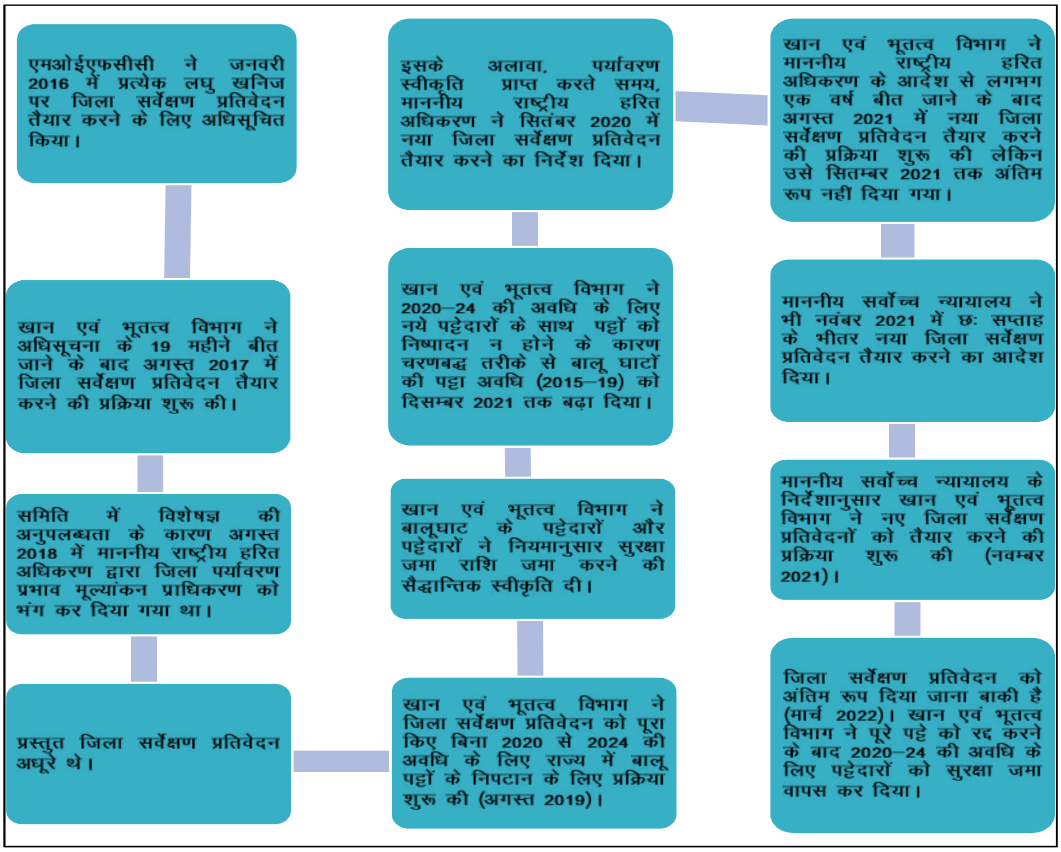


ऊपर से, यह देखा जा सकता है कि खान एवं भूतत्व विभाग ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना (जनवरी 2016) से 19 महीने बीत जाने के बाद जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया की पहल की (अगस्त 2017) और उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के साढ़े चार साल बीत जाने के बाद, ₹ 20.40 लाख (देय राशि का 30 प्रतिशत) के भुगतान के बाद भी अधूरा माना गया। इसके अलावा, नमूना जिलों के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की जाँच करते समय, यह देखा गया कि निर्दिष्ट उद्देश्यों में से कोई भी पूरा नहीं किया गया था और खान एवं भूतत्व विभाग ने इसे केवल पुनःपूर्ति अध्ययन की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण बताया था। जिन जिलों कि खनिज सम्पदा की गणना की जानी थी, वह भी जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं था। इस बीच (सितम्बर 2018) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्याकंन प्राधिकरणों को भंग कर दिया गया क्योंकि अधिकांश सदस्य अधिकारी/नौकरशाह थे, जिनके पास पर्यावरण के मामले में विशेषज्ञता, अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि खान एवं भूतत्व विभाग ने जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को पूरा किए बिना 2020 से 2024 के लिए सभी जिलों में बालू घाटों के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू की (अगस्त 2019)। संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई और नए पट्टेदारों से सुरक्षा जमा राशि भी वसूल की गई। लेकिन, इसे अमल में नहीं लाया जा सका क्योंकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के आलोक में विभाग ने अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के कारण बालू घाटों के बंदोबस्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जबकि सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना 2016 और भारत सरकार के 2018 में अनुस्मारक पत्र के अनुसार जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार करना अनिवार्य कर दिया था, हालाँकि, खान एवं भूतत्व विभाग ने इसका पालन नहीं किया।

इसे इंगित किए जाने पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा (मई 2022) कि प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्याकंन प्राधिकरण को भेजा गया था, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों को भंग कर दिया गया था। जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2018 में तैयार किये गये थे और 2019 में अद्यतन किया गया था। अद्यतन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर, बालू घाटों को ई–नीलामी के माध्यम से तय किया गया था। हालाँकि, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने बंदोबस्त हुए बालू घाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति को मंजूरी देने में काफी समय लिया और इस बीच, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष एक कानूनी मामला दायर किया गया था और बांका जिला के जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को अधिकरण ने 14 अक्टूबर 2020 में खारिज कर दिया था। इस फैसले के संबंध में, सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चली गई और अदालत ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को संशोधित किया और राज्य को नए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2021)। अनुपालन में, 38 जिलों में से 16 के जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को मई 2022 तक राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू (अगस्त 2017) करने में 19 माह का अत्यधिक विलम्ब किया। इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग ने स्वीकार किया है कि विलम्ब राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की ओर से भी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि, हालाँकि जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2018 में तैयार किये गये थे और 2019 में अद्यतन किये गये थे, लेकिन ये अपूर्ण पाये गये। इसके अलावा, कोई अभिलिखित सबूत नहीं मिला की जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को जिला प्रर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार नीलामी क्रियान्वित नहीं कि जा सकी और पट्टेदार पूरानी दरों पर कार्य करते रहे। विभाग को राजस्व अर्जित होता यदि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया से पहले जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता और नए पट्टेदारों के साथ पट्टों का निष्पादन किया जाता। लेकिन, अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के कारण जमानत राशि विभाग द्वारा पट्टेदारों को वापस करनी पड़ी (मार्च 2022 तक)।

## 2.2 खनन योजना का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाना

भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा लघु खनिजों के लिए खनन ढाँचे के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु खनिजों के लिए खनन कार्य करने के लिए खनन पट्टे के देने के लिए एक आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उक्त उद्देश्य के निश्चित क्षेत्र देने का निर्णय लेगी और आवेदक को ऐसे निर्णय के बारे में सूचित करेगी। राज्य सरकार से दिए जाने वाले निश्चित क्षेत्र की सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक को पट्टेदार द्वारा इस तरह की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक खनन योजना प्रस्तुत करनी होगी। दिशानिर्देश में खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति प्रतिवेदन तैयार करने के लिए यह विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र निश्चित होना चाहिए और सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

बिहार बालू खनन नीति, 2013, के अनुसार, बालू घाटों के पट्टेदारों को मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति से खनन योजना तैयार करनी थी और इसे खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी (जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/ राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) को इस खनन योजना के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से खनन योजना में उल्लिखित भू–निर्देशांक के संदर्भ में चार जिलों[1] के बालू घाटों की खनन योजना की जाँच की और टिप्पणियों को बाद के कंडिकाओं में प्रकाश डाला गया है।

[1] बांका, भोजपुर, पटना और रोहतास।

### 2.2.1 गलत भू–निर्देशांकों की स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने तीन जिलों[2] में सोन नदी के कुल 86 बालू घाटों और बांका जिले में चंदन नदी के 20 बालू घाटों का विश्लेषण किया। उपरोक्त घाटों के निर्देशांक गूगल अर्थ प्रो पर निर्दिष्ट किए गए थे और उपलब्ध मुफ्त छवियों के अनुसार यह पाया गया कि खनन योजना में खनन गतिविधियों के लिए स्वीकृत दो जिलों[3] के पाँच बालू घाटों का क्षेत्र सही नहीं था। इसके अलावा, विशेषज्ञ एजेंसी ने भी उपर्युक्त कमियों को उजागर किया जैसा कि **चित्र 4 से 11** में दिखाया गया है:

चित्र 4: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा बालू घाट रानी तालाब के रूप में विश्लेषण की गई एलआईएसएस–IV उपग्रह छवि को नदी के किनारे से दूर सफेद बहुभुज द्वारा सीमांकित किया गया है।

चित्र 5: गूगल अर्थ प्रो से जनवरी 2019 में पटना जिले के रानी तालाव बालू घाट की उपग्रह छवि।

चित्र 6 : भोजपुर जिले के फरहांगपुर बालू घाट की स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया वनस्पति क्षेत्र।

चित्र 7: भोजपुर जिले में मनाचक बालू घाट का स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया कृषि क्षेत्र।

[2] भोजपुर, पटना और रोहतास।

[3] भोजपुर और पटना।

चित्र 8: भोजपुर जिले के कमलुचक बालू घाट का स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि नदी तल से दूर दिखाया गया है।

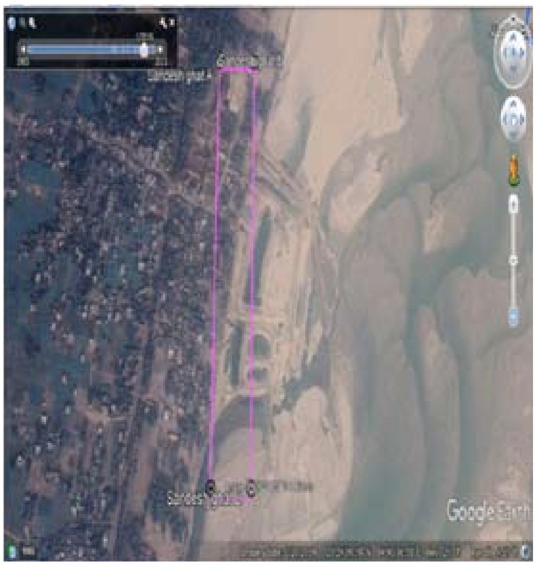


चित्र 9: भोजपुर जिले के संदेश बालू घाट का स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया है कि कुछ हिस्सा नदी के तल से दूर है।

चित्र 10: बांका जिले में बैसा बालू घाट की स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया है कि कुछ हिस्से गलत निर्देशांक के कारण नदी के तल से दूर है।

चित्र 11: बांका जिले के जीतापुर बालू घाट की स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया है कि कुछ हिस्सा गलत निर्देशांक के कारण नदी के किनारे से दूर है।

उपरोक्त छवियों से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत खनन योजनाओं और पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार बालू की निकासी के लिए स्वीकृत क्षेत्र नदी तल के स्थान पर निजी पट्टा (कृषि/आवासीय) भूमि में पाए गए थे। खनन योजना में गलत भू–निर्देशांक लिये जाने के कारण बांका जिले के बैसा और जीतापुर बालू घाटों में भी वही अनियमितताएँ पाई गईं क्योंकि कुछ निर्देशांक बस्ती में थे **(चित्र 10 और 11)**। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि रानी तालाब घाट एवं अन्य बालू घाटों की खनन योजना में बालू के भंडार का अनुमान तीन मीटर गहराई तक लगाया गया था, जो दर्शाता है कि खनन योजना केवल कागजी कार्रवाई के लिए तैयार की गई थी क्योंकि उपरोक्त बालू घाटों के निर्देशांक गलत थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि रोहतास जिले के परुहर बालू घाट में उच्च तीव्रता वाले विद्युत टावर (एक स्थायी संरचना) के मध्य में बालू निकासी के लिए खनन क्षेत्र दिया गया था, जो कि सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2020 के अनुसार निषिद्ध था जैसा कि **चित्र 15 और 16** में दिखाया गया है :

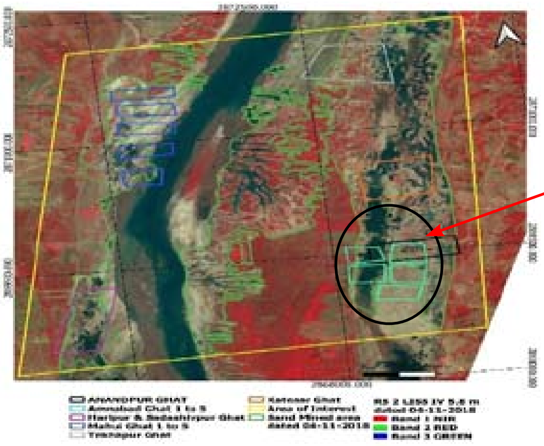

चित्र 12: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ने ऊपर दिखाए गए आनंदपुर बालू घाट में अम्नाबाद के अतिव्यापी होने का भी विश्लेषण किया।

चित्र 13: स्क्रीनशॉट उपग्रह छवियों ने दिखाया कि आनंदपुर बालू घाट में अम्नाबाद बालू घाट का क्षेत्र अतिव्यापी है।

चित्र 14: रोहतास जिले के हुरका घाट का स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि ब्लॉक 4 और 5 के निर्देशांक समान दिखाए गए है।

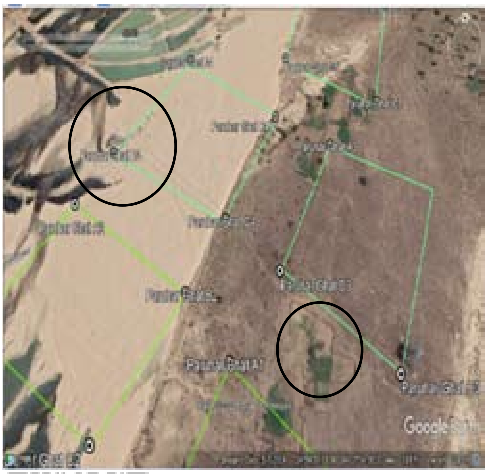

चित्र 15: उच्च तीव्रता वाली विद्युत संरचना का वृत्त में दिखाया गया था पो परूहर बालू घाट के स्वीकृत खनन क्षेत्र में स्थित था।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार बालू निकालने के लिए स्वीकृत क्षेत्र सही नहीं थे क्योंकि ये क्षेत्र निषिद्ध स्थान पर थे।

इसके अलावा, तीन जिलों में आठ बालू घाटों का संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवम्बर 2021) संबंधित अंचलाधिकारियों और जिला खनन अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया था और पाया गया कि किसी भी बालू घाट का कोई सीमांकन नहीं किया गया था। नदी में पड़े दो बालू घाटों (परूहार और परूहार 2) के मामलों में खेसरा संख्या खनन योजना में उल्लेखित पाया गया था, लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापित नहीं किया जा सका। इस संबंध मे अंचलाधिकारी रोहतास, ने बताया कि स्वीकृत बालू खदान क्षेत्र में संबंधित बालू घाटों और नदी में स्थित बालू घाटों के स्वीकृत खनन क्षेत्र और उच्च तीव्रता वाले विद्युत टावर का कोई सीमांकन नहीं पाया गया है।

छवि को **चित्र 16 से 19** में दिखाया गया है:

चित्र 16: परुहर बालू घाट पर संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

चित्र 17: उपग्रह छवियों के स्क्रीनशॉट में दिखाया गया भौतिक सत्यापन बिंदु।

चित्र 18 : महुई बालू घाट का सयुंक्त भौतिक सत्यापन छवि।

चित्र 19 : महूई बालू घाट के भौतिक सत्यापन बिन्दु जो उपग्रह छवि के स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति के संदर्भ में पत्थर खनन क्षेत्रों के भू–निर्देशांक का भी विश्लेषण किया और पाया कि तीन जिला खनन कार्यालयों[4] में अनुमोदित खनन योजना (क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक) में चार के बजाय केवल एकल निर्देशांक का उल्लेख किया गया है और साथ ही पर्यावरण स्वीकृति को अनुमोदित किया गया था। पूर्ण निर्देशांक के अभाव में, लेखापरीक्षा पत्थर के पट्टों के खनन क्षेत्र के वास्तविक सीमांकन/सीमा का पता नहीं लगा सका। वास्तविक सीमा की अनुपलब्धता के कारण स्वीकृत निकासी क्षेत्र का पता लगाना भी बहुत मुश्किल था। एकल निर्देशांक छवियों के मामले **चित्र 20 से 22** में दिखाए गए हैं:

4 गया, नवादा और शेखपुरा।

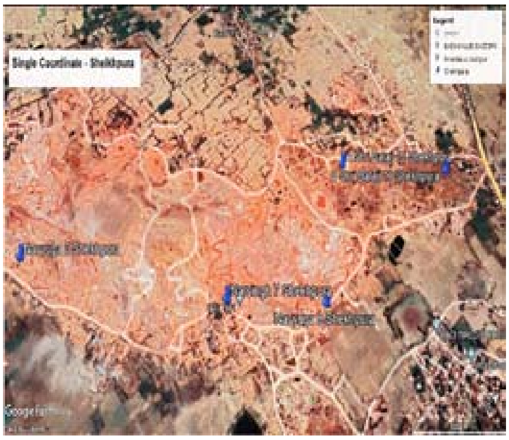

चित्र 20: शेखपुरा जिले का एकल निर्देशांक।

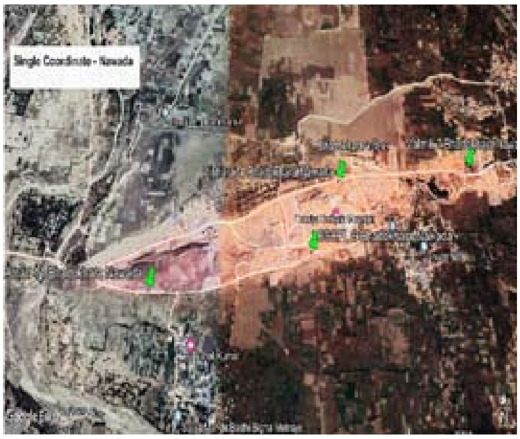

चित्र 21: नवादा जिले का एकल निर्देशांक।

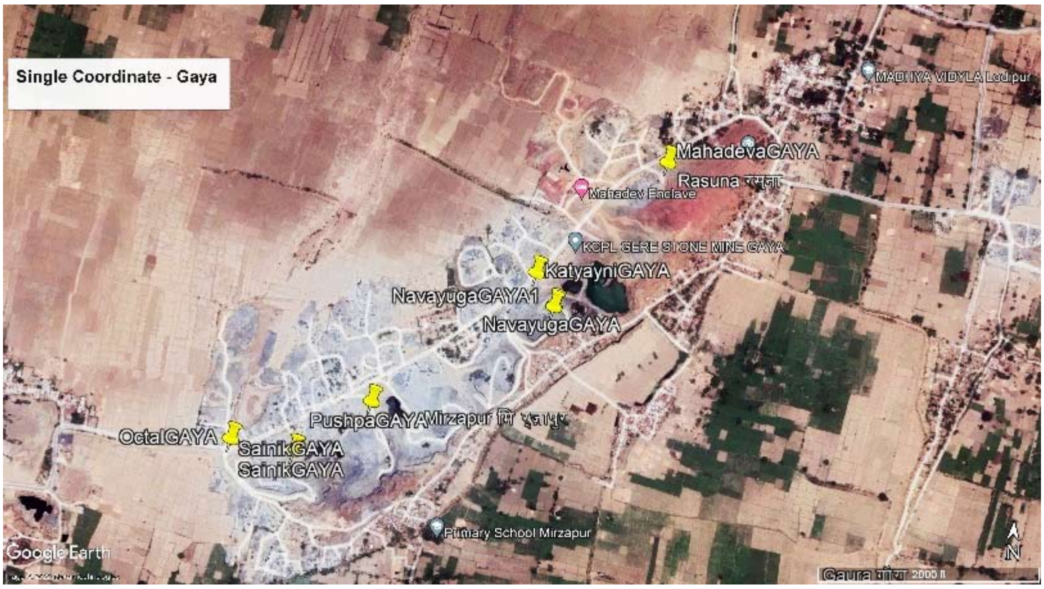


चित्र 22 : गया जिले का एक निर्देशांक (पत्थर)।

## 2.2.2 निषिद्ध क्षेत्र में बालू का खनन

बिहार बालू खनन नीति, 2013 के अनुसार, नदी के दोनों किनारों से पाँच मीटर की दूरी को छोड़कर बालू खनन किया जाना चाहिए और राजमार्ग एवं रेल पुल की 300 मीटर की सीमा में कोई खनन नहीं किया जाना चाहिए। सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार, पुलों से 200 से 500 मीटर के दायरे में स्थित किसी क्षेत्र में खनन नहीं किया जाएगा।

### 2.2.2.1 पुलों के पास बालू का खनन

गूगल अर्थ प्रो पर स्वीकृत खनन योजना में दिए गए भू–निर्देशांकों को इंगित करने के माध्यम से बांका जिले के उपग्रह छवियों का अध्ययन के दौरान पाया गया कि बिसुनपुर बालू घाट का आवंटित क्षेत्र ढ़ाका मोड़ बांका राजमार्ग पुल से 113 मीटर की दूरी पर है और मालदौन बालू घाट का आवंटित क्षेत्र बांका रेल पुल से 117 मीटर की दूरी पर है। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंझीरा बालू घाट के निकट बांका रेल पुल के दोनों ओर खनन गतिविधियाँ की जा रही थी। **चित्र 23 से 25** में छवियाँ दिखाई गई हैं:

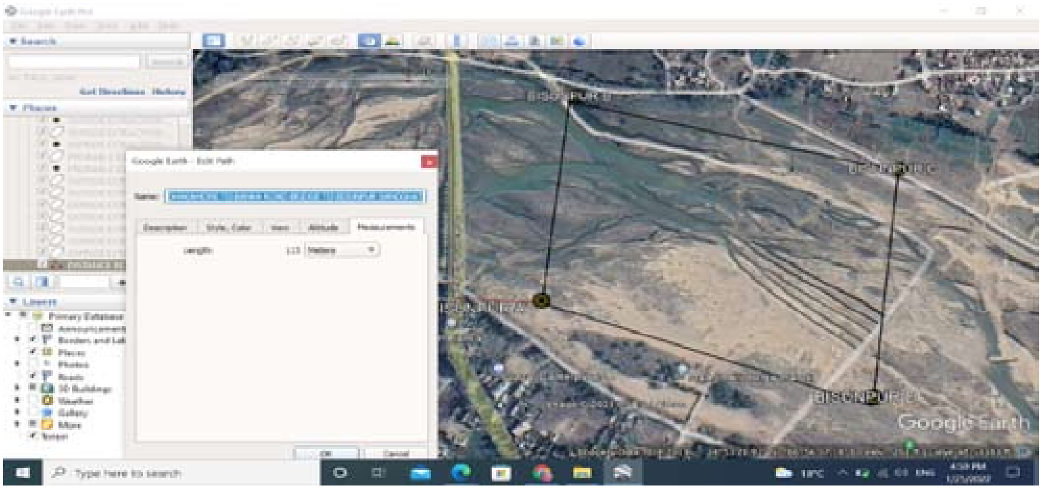


चित्र 23: बांका जिले का बिसुनपुर बालू घाट, खनन के लिए स्वीकृत क्षेत्र सड़क पुल से मात्र 113 मीटर की दूरी पर था।

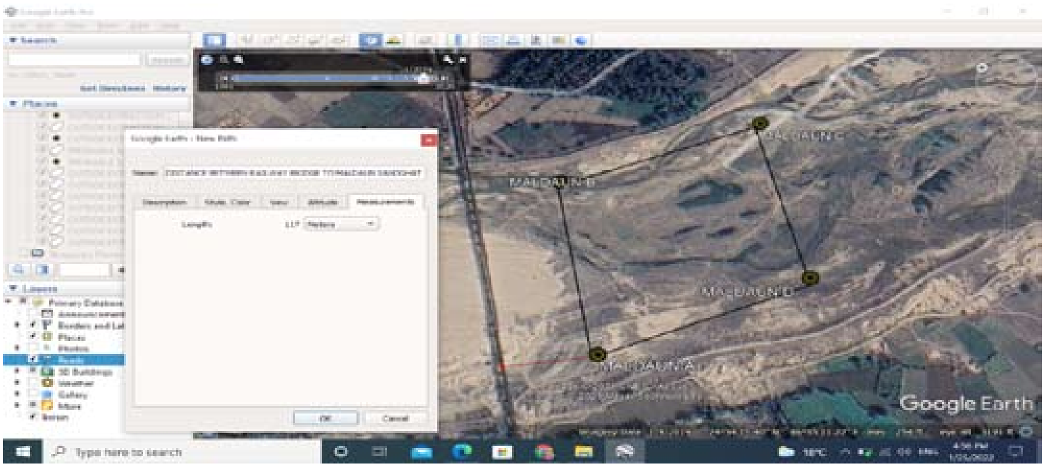


चित्र 24: बांका जिले का मालदौन बालू घाट, खनन के लिए अनुमत क्षेत्र रेल पुल से मात्र 117 मीटर की दूरी पर था।

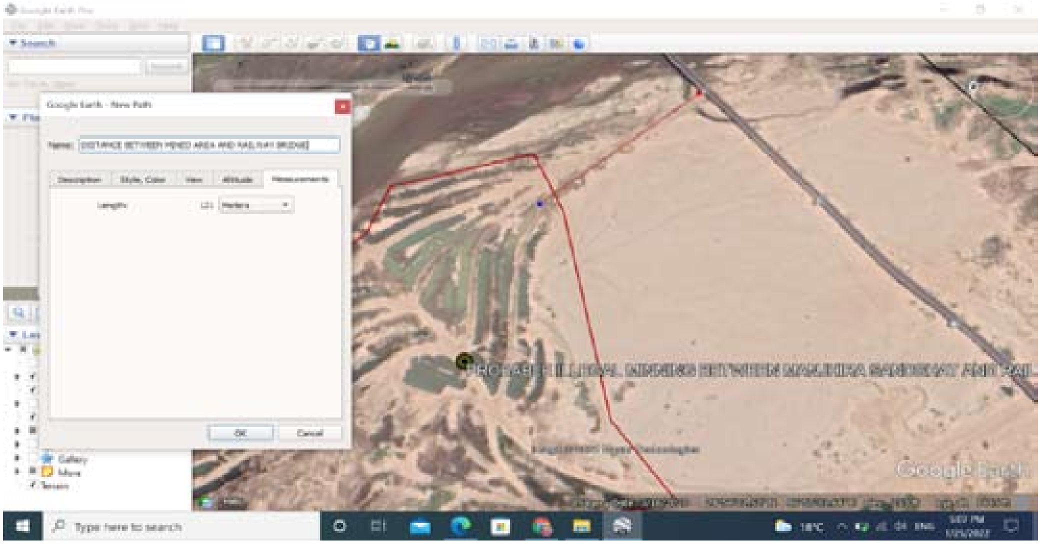


चित्र 25: मझोनी बालू घाट के निकट रेलवे पुल से मात्र 121 मीटर की दूरी पर अवैध खनन कार्य किया गया।

### 2.2.2.2 नदी के मध्य में बालू खनन के लिए क्षेत्र का आवंटन

बांका जिले के आठ बालू घाटों[5] का क्षेत्र चंदन नदी के मध्य में आवंटित किया गया था जो कि बिहार बालू खनन नीति, 2013 का पालन नहीं था, क्योंकि खनन क्षेत्र को नदी के दोनों किनारे पाँच मीटर छोड़कर आवंटित किया जाना चाहिए। छवियों को **चित्र 26 से 32** में दिखाया गया हैं:

चित्र 26: बैसा बालू घाट क्षेत्र में खनन की अनुमति नदी के मध्य में था।

चित्र 27: खनन के लिए स्वीकृत बिसुनपुर बालू घाट क्षेत्र नदी के मध्य में था।

चित्र 28: गोविंदपुर बालू घाट क्षेत्र को नदी के मध्य में खनन की अनुमति थी।

चित्र 29: खनन के लिए स्वीकृत लखनौरी बालू घाट क्षेत्र नदी के मध्य में था।

चित्र 30: खनन के लिए स्वीकृत मालदौन बालू घाट क्षेत्र नदी के मध्य में था।

चित्र 31: राजीपुर/काकना बालू घाट क्षेत्र में खनन की अनुमति नदी के मध्य में था।

[5] बैसा, बिसुनपुर, गोबिंदपुर, लखनौरी, मझोनी, मालदौन, पटवे भोरवा और राजीपुर/काकना।

चित्र 32: खनन के लिए स्वीकृत मझोनी और पटवे भोरवा बालू घाट क्षेत्र नदी के मध्य में था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आठ जिला खनन कार्यालयों[6] में बालू घाटों के पट्टेदारों ने विस्तारित अवधि के लिए खनन योजना तैयार नहीं की जो खनन कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य थी। विस्तार से पहले पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत की गई खनन योजना 2015–2019 या पट्टे की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, के लिए वैध थी। परन्तु पट्टाधारकों द्वारा दिसम्बर 2021 तक बिना खनन योजना के लगातार बालू का उत्खनन किया गया। खनन योजना के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किसी विशेष बालू घाट से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कितनी बालू निकाली जानी थी।

इस प्रकार, खनन योजना या पर्यावरणीय स्वीकृति में संदर्भित भू–निर्देशांक की शुद्धता को क्रमशः खनन योजना या पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुमोदन के समय खान एवं भूतत्व विभाग या राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जाँच नहीं किया गया था। इन योजनाओं के आधार पर गलत भू–निर्देशांक के साथ संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा बालू घाटों के संचालन के लिए अनुज्ञप्ति जारी किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि खान एवं भूतत्व विभाग और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी ने संबंधित पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत खनन योजना की जाँच नहीं की। खनन योजना के लिए निर्धारित मानकों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप अवैध खनन हुआ (जैसा कि **अध्याय–4** में उजागर किया गया है) क्योंकि खनन के लिए उचित क्षेत्र का न तो सीमांकन किया गया था और न ही जाँच, साथ ही उसने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य को भी विफल कर दिया।

इसे इंगित किए जाने पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा कि पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत और एक मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई खनन योजना की जाँच एवं अनुमोदन निदेशक, खान की अध्यक्षता में एक अंतर–विभागीय समिति द्वारा किया गया, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन खनन योजनाओं को 2016 में अनुमोदित किया गया था और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने जाँच के बाद पट्टेदार को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की थी। 2015 में नीलाम किए गए बालू के घाट सटे हुए थे और उनके बीच एक समान सीमा थी, इसलिए उनका एक भू–निर्देशांक अतिव्यापी दिखाई देता है लेकिन उनका क्षेत्र अतिव्यापी नहीं है और वे खास और अलग हैं। घाटों की पर्यावरण स्वीकृति 2016 में दी गई थी, जबकि प्रारूप कंडिका में संलग्न तस्वीरें 2018 या 2020 की भी हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति की मंजूरी के लिए जमा किए गए पर्यावरण मंजूरी फॉर्म में आवासीय क्षेत्र, रेलवे और सड़क पुलों, उच्च तनाव तार और टावर आदि से संबंधित जानकारी शामिल है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इसकी जाँच कर पर्यावरण स्वीकृति देता है। इस प्रकार, पट्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले ढांचे शायद बाद में बने ढांचे हैं।

6 औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, रोहतास एवं सारण।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन योजना में उल्लिखित भू–निर्देशांक लेखापरीक्षा द्वारा गलत पाये गये थे, जिसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, पटना द्वारा प्रमाणित भी किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने सत्यापित किया कि उच्च तनाव टावर, पुलों और आवासीय क्षेत्रों जैसी संरचनाएँ बालू पट्टे की मंजूरी से पहले मौजूद थी।

## 2.3 पट्टे की विस्तार अवधि में बन्दोबस्त बालू घाटों का पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न करना

खान एवं भूतत्व विभाग ने 2015 से 2019 के बालू पट्टे की अवधि को पिछले वर्ष की बंदोबस्त राशि के 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिसंबर 2021[7] तक बढ़ाने की अनुमति दी जिन्हें 2015 से 2019 तक बालू पट्टा प्राप्त था। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता पाँच वर्ष या पट्टे की समाप्ति जो भी पहले हो थी। इसके अलावा, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने निर्देश दिया[8] (जनवरी 2020) कि पट्टा की विस्तारित अवधि यानी अक्टूबर 2020 के लिए बालू के खनन से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए अन्यथा यह प्रासंगिक पर्यावरण मानदंडों के खिलाफ होगा क्योंकि पर्यावरणीय स्वीकृति का विस्तार देने पर ही खनन पट्टे का विस्तार स्वतः नहीं होता है। इसी प्रकार, पर्यावरणीय स्वीकृति का विस्तार खनन पट्टे का स्वतः विस्तार नहीं देता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने यह भी विचार रखा था कि यदि पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले सरकार द्वारा पट्टे का विस्तारित किया गया, (दिसंबर 2019), तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टेदारों ने विस्तार अवधि अर्थात जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बालू खनन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली और न ही विस्तार अवधि के लिए खनन योजना तैयार की जबकि खान एवं भूतत्व विभाग ने पट्टेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेने के लिए बाध्य नहीं किया। हालाँकि, इस अवधि के दौरान 14 नमूना जिलों में से नौ जिलों[9] के सभी बालू घाटों में खनन गतिविधि की गई थी। इस प्रकार, बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये और साथ ही सक्षम प्राधिकारी से खनन योजना तैयार किये बिना ही विभाग द्वारा खनन पट्टे का अनियमित विस्तार दो वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था जो पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि बालू घाटों की नीलामी 2015 में की गई थी जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति 2016 और 2020 के बीच दी गई थी। आगे यह भी कहा गया कि पट्टा की वैधता के विस्तार पर, पर्यावरणीय स्वीकृति को भी अधिकतम सीमा पाँच साल की अवधि के अधीन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया (जनवरी 2021) कि महामारी के कारण, 2020–21 में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता से छूट दी गई थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 स्पष्ट रूप से कहती है कि पट्टे के विस्तार से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति का विस्तार लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, महामारी पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना इस मामले में लागू नहीं है क्योंकि पट्टा महामारी से पहले बढ़ा दिया गया था।

**अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसी भी खनन गतिविधि और खनन पट्टे के विस्तार से पहले पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।**

---

7 वर्ष 2020 में दो बार यानी अक्टूबर 2020 तक और दूसरी बार दिसम्बर 2020 तक और वर्ष 2021 में तीन बार यानी मार्च 2021 तक, सितम्बर 2021 तक और दिसम्बर 2021 तक।

8 पत्रांक संख्या 370 दिनांक 06.01.2020 और 372 दिनाक 07.01.2020।

9 औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, रोहतास, सारण और वैशाली।

## 2.4 लघु खनिजों के रूप में घोषित किए जाने के बाद खनिजों की नीलामी/बन्दोबस्त न करना

केंद्र सरकार ने खान मंत्रालय के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (ई) के अधिसूचना संख्या एसओ 423 (ई) दिनांक 10 फरवरी 2015 के तहत अभ्रक, क्वाट्र्ज/क्वार्टजाइट और सिलिका बालू को लघु खनिज घोषित किया।

इसके अलावा, बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 के अनुसार, लघु खनिज की बंदोबस्ती को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से पाँच साल के लिए नीलाम किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लघु खनिज घोषित होने के बाद अभ्रक, क्वार्टज/क्वार्टजाइट एवं सिलिका बालू को उपलब्धता के आधार पर नीलाम किया जाना था तथा रॉयल्टी एवं किराया बंदोबस्ती के आधार पर वसूल किया जाना था तथा नीलामी एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया मानदण्डों के अनुसार की जानी थी। यह भी प्रासंगिक है कि खान एवं भूतत्व विभाग ने 2016 तक अभ्रक/सिलिका से पहले ही राजस्व प्राप्त कर लिया था लेकिन 2015 में इन्हें लघु खनिजों के रूप में घोषित किए जाने के बाद अभ्रक, क्वाट्र्ज/क्वार्टजाइट और सिलिका बालू की नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इससे विभाग को राजस्व का नुकसान हुआ।

विभाग ने बताया (मई 2022) कि नवादा जिले में अभ्रक के तीन खनन पट्टे परिचालन में थे, हालाँकि, इन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न होने और अन्य कारणों से रद्द कर दिया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सिलिका, अभ्रक और क्वाट्र्ज/क्वार्टजाइट का खनन उस समय चल रहा था जब इन खनिजों को प्रमुख खनिज माना जाता था। इन खनिजों को लघु घोषित किये जाने के बाद विभाग द्वारा इनकी नीलामी नहीं की गयी।